भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1940

दिनांक 30 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

तमिलनाडु में विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाना

†1940. डॉ. रानी श्रीकुमार:
श्री सी. एन. अन्नादुरई:
श्री जी. सेल्वम:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2034-35 तक तमिलनाडु की अनुमानित बिजली मांग को पूरा करने के लिए राज्य में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने की एक दीर्घकालिक योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु में निर्माणाधीन या स्वीकृत तापीय विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का, उनकी प्रस्तावित क्षमता, अनुमानित लागत और चालू होने का संभावित वर्ष सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तमिलनाडु के लिए अतिरिक्त तापीय विद्युत क्षमता की आवश्यकता का आकलन किया है और यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त कोयला आपूर्ति, पारेषण अवसंरचना और पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) तमिलनाडु में प्रस्तावित क्षमता वृद्धि से बिजली की उपलब्धता, औद्योगिक विकास, कृषि आपूर्ति और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : विद्युत मंत्रालय ने दिसंबर, 2022 में विद्युत (संशोधन) नियम अधिसूचित किए थे। विद्युत (संशोधन) नियम के नियम 16 के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय ने जून, 2023 में "संसाधन पर्याप्तता (आरए) दिशानिर्देश" अधिसूचित किए हैं।

उत्पादन क्षमता को अनुमानित अधिकतम मांग से आगे बनाए रखने की दृष्टि से, तमिलनाडु सहित सभी डिस्कॉम/राज्यों ने, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के परामर्श से, उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2035-36 तक की अपनी "संसाधन पर्याप्तता योजनाएं (आरएपी)" तैयार की हैं, जो गतिशील दस वर्षीय चक्रीय योजनाएं हैं और इनमें विद्युत उत्पादन के साथ-साथ विद्युत खरीद योजना भी शामिल है।

(ख) : तमिलनाडु राज्य में निर्माणाधीन और प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजनाओं का विवरण क्रमशः **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** पर है।

(ग) : तमिलनाडु की वर्ष 2035-36 तक की संसाधन पर्याप्तता योजना (आरएपी) के अनुसार, वर्ष 2034-35 तक लगभग 12,400 मेगावाट अतिरिक्त ताप क्षमता की आवश्यकता है। इनमें से 2,640 मेगावाट ताप क्षमता राज्य में निर्माणाधीन है, 1,000 मेगावाट ताप क्षमता बोली प्रक्रिया के अधीन है, तथा इसके अतिरिक्त, 660 मेगावाट ताप क्षमता स्थापित करने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी की जा चुकी है। तमिलनाडु या तो शेष क्षमता स्वयं स्थापित कर सकता है या राज्य के भीतर अथवा बाहर स्थित उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत की व्यवस्था कर सकता है।

विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के माध्यम से, परियोजनाओं की कमीशनिंग हेतु महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए विकासकर्ताओं एवं अन्य हितधारकों के साथ बार-बार स्थल निरीक्षण तथा बातचीत के माध्यम से निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है।

(घ) : विद्युत संयंत्रों को निर्बाध कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

i. विद्युत क्षेत्र को कोयला आपूर्ति से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु, विद्युत, कोयला, रेल मंत्रालयों, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के प्रतिनिधियों वाला एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह नियमित रूप से बैठक करता है, ताकि ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने तथा विद्युत क्षेत्र से संबंधित किसी भी आकस्मिक स्थिति, जिसमें विद्युत संयंत्रों में कोयले के गंभीर स्टॉक की स्थिति को कम करना शामिल है, से निपटने हेतु विभिन्न प्रचालन संबंधी निर्णय लिए जा सकें।
ii. कोयला स्टॉक की निगरानी के लिए सचिव (विद्युत), सचिव (कोयला) तथा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की एक अंतर-मंत्रालयी सचिव-स्तरीय बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाती है।
iii. सीसीईए ने दिनांक 07.05.2025 को विद्युत क्षेत्र को कोयला आवंटन के लिए संशोधित शक्ति नीति को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत इच्छुक विद्युत संयंत्र प्रतिभागिता कर सकते हैं और कोयला लिंकेज प्राप्त कर सकते हैं।

पारेषण अवसंरचना के संबंध में, तमिलनाडु 765 केवी और 400 केवी पारेषण लाइनों तथा ±800 केवी एचवीडीसी प्रणाली से युक्त एक सुदृढ़ अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रिड से भली-भांति जुड़ा हुआ है, जो अन्य राज्यों/क्षेत्रों के साथ विश्वसनीय विद्युत अंतरण को सक्षम बनाता है। विद्युत निकासी एवं आपूर्ति को विश्वसनीय एवं सुरक्षित बनाए रखने हेतु, विद्युत अंतरण की उभरती आवश्यकताओं के अनुरूप पारेषण नेटवर्क को निरंतर सुदृढ़ किया जाता है। यथापेक्षित, पारेषण

प्रणालियों की योजना स्थापित पारेषण योजना प्रक्रिया के माध्यम से केंद्रीय अथवा राज्य क्षेत्र से प्राप्त उत्पादन प्रस्तावों के आधार पर बनाई जाती है।

निर्माणाधीन ताप परियोजनाओं, अर्थात एन्नोर एसईज़ेड (2x660 मेगावाट) और उदंगुडी एसटीपीपी (2x660 मेगावाट), से विद्युत की निकासी हेतु राज्य के भीतर पारेषण प्रणाली (इन एसटीएस) की योजना पहले ही बनाई जा चुकी है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा प्रदान की जाने वाली पर्यावरण मंजूरी (ईसी), नई ताप विद्युत क्षमता की स्थापना के साथ-साथ मौजूदा क्षमता के विस्तार के लिए भी सर्वप्रथम आवश्यकता है। अन्य सभी मंजूरी और अनुमतियां/अनुमोदन केवल पर्यावरण मंजूरी प्रदान किए जाने के आधार पर ही संसाधित किए जाते हैं, जो एक विस्तृत और कठोर प्रक्रिया पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, ताप विद्युत संयंत्रों को एमओईएफएंडसीसी द्वारा निर्धारित उत्सर्जन मानकों का पालन करना आवश्यक है, तथा इसके अनुपालन की निगरानी संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा की जाती है।

(ङ) : तमिलनाडु के लिए वर्ष 2035-36 तक की संसाधन पर्याप्तता योजना (आरएपी), औद्योगिक, कृषि, वाणिज्यिक, घरेलू तथा अन्य सहित सभी उपभोक्ता क्षेत्रों में अपेक्षित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई मांग अनुमानों को आधार बनाकर तैयार की गई है। इन मांग अनुमानों के आधार पर, जहां तक विद्युत क्षेत्र का संबंध है, आरएपी के अंतर्गत परिकल्पित उत्पादन क्षमता वृद्धि से ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए राज्य की अनुमानित विद्युत मांग को पूरा किए जाने की संभावना है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 1940

अनुबंध-I

तमिलनाडु राज्य में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं* का विवरण:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र	यूनिट सं.	क्षमता	अनुमानित लागत (करोड़)	अपेक्षित कमीशनिंग
1.	उदंगुड़ी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज-I	राज्य	1	660	14,572	अगस्त, 2026
			2	660		दिसम्बर, 2026
2.	एन्नोर विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड)		1	660	20,663	अगस्त, 2027
			2	660		दिसम्बर, 2027

*तमिलनाडु राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार

लो.स.अतारां.प्र.सं. 1940

अनुबंध-II

तमिलनाडु राज्य में प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजनाओं* का विवरण:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	टिप्पणी
1	ईटीपीएस विस्तार ताप परियोजना (1x660 मेगावाट)	राज्य	6,380.81	टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) मोड के अंतर्गत निविदा
2	उप्पुर ताप परियोजना (2x800 मेगावाट)	राज्य	12,778	टीबीसीबी मोड के माध्यम से प्रस्तावित
3	उदंगुड़ी ताप परियोजना स्टेज-II (2x660 मेगावाट)	राज्य	-	भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।
4	उदंगुड़ी ताप परियोजना स्टेज -III (2x660 मेगावाट)	राज्य	-	भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।

*तमिलनाडु राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार
